



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21082025-265606
CG-DL-E-21082025-265606

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 523]
No. 523]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 21, 2025/श्रावण 30, 1947
NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 21, 2025/SHRAVANA 30, 1947

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि और किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2025

सा.का.नि. 567(अ).—केंद्रीय सरकार, कीटनाशी नियम, 1971 के नियम 21 के साथ पठित कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संपूर्ण भारत के लिए राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान, हैदराबाद के निम्नलिखित अधिकारियों को रसायनिक नाशकजीवमार के कीटनाशी विशेषकों के रूप में नियुक्त करती है, अर्थात् :-

- (1) निदेशक (नाशकजीवमार प्रबंधन प्रभाग);
- (2) संयुक्त निदेशक (रसायन विज्ञान);
- (3) उपनिदेशक (रसायन विज्ञान);
- (4) सहायक निदेशक (नाशकजीवमार मॉनीटरिंग और अवशेष विश्लेषण);

- (5) सहायक निदेशक (नाशकजीवमार सूत्रीकरण विशेषण);
- (6) वैज्ञानिक अधिकारी (नाशकजीवमार प्रबंधन प्रभाग); और
- (7) सहायक वैज्ञानिक अधिकारी (नाशकजीवमार प्रबंधन प्रभाग)।

[फा. सं. 13029/03/2019-पीपी-।]

मुक्तानंद अग्रवाल, संयुक्त सचिव (पादप संरक्षण)

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE
(Department of Agriculture and Farmers Welfare)
NOTIFICATION

New Delhi, the 18th July, 2025

G.S.R. 567(E).— In exercise of the powers conferred by section 19 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968) read with rule 21 of the Insecticides Rule 1971, the Central Government hereby appoints the following officers of the National Institute of Plant Health Management at Hyderabad, as Insecticide Analysts for chemical pesticides for whole of India, namely:-

- (1) Director (Pesticide Management Division);
- (2) Joint Director (Chemistry);
- (3) Deputy Director (Chemistry);
- (4) Assistant Director (Pesticide Monitoring and Residue Analysis);
- (5) Assistant Director (Pesticide Formulation Analysis);
- (6) Scientific Officer (Pesticide Management Division); and
- (7) Assistant Scientific Officer (Pesticide Management Division).

[F. No. 13029/03/2019 -PP-I]

MUKTANAND AGRAWAL, Jt. Secy. (Plant Protection)